अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति, जिला न्यायालय अंबिकापुर, छ0ग0

// सूचना //

दिनांक 27.10.2026 को कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर के बेवसाइट पर दिनांक 01.11.2026 को आयोजित होने वाले सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त 01 पद हेतु विज्ञापन की शर्तो के अनुसार पात्र पाये गये 25 गुणा अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट–बी के कमांक–25 में उल्लेखित अभ्यर्थी भूमिका दुग्गा पिता अनुप दुग्गा जिनके द्वारा स्नातक में 72.89 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है, का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर जेरोमिना तिग्गा पिता जेराम तिग्गा जिनके द्वारा स्नातक परीक्षा में 73.05 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है, का नाम प्रतिस्थापित किया गया है ।

भृत्य पद के अनुसूचित जाति मुक्त के 01 पद से संबंधित परिशिष्ट बी–4 में उल्लेखित दिनेश कुमार पिता सुखराम का नाम जो कि कमांक–5 पर है, उसे विलोपित कर अनुसूचित जनजाति मुक्त के 01 रिक्त पद हेतु जारी सूची में प्रतिस्थापित किया गया है।

भृत्य पद के अनुसूचित जाति मुक्त के 01 पद से संबंधित परिशिष्ट बी–4 में उल्लेखित मुकेश कुमार पिता समयलाल का नाम जो कि कमांक–24 पर है, उसे विलोपित कर अनुसूचित जनजाति मुक्त के 01 रिक्त पद हेतु जारी सूची में प्रतिस्थापित किया गया है।

भृत्य पद के अनुसूचित जनजाति के संवर्ग की सूची के कमांक–25 पर खिरेन्द्र प्रसाद पिता स्व0 चैतू राम राजवाड़े का नाम लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि उक्त अभ्यर्थी अनारक्षित संवर्ग का है, अभ्यर्थी के द्वारा कक्षा आठवीं में ''ए'' ग्रेड प्राप्त किया गया है अर्थात उसका प्राप्तांक 90 प्रतिशत है, जबकि अनारक्षित वर्ग हेतु लिखित परीक्षा के लिये 25 गुणा अभ्यर्थियों का अंतिम मैरिट में प्राप्तांक 98.18 प्रतिशत है, इस कारण उक्त अभ्यर्थी खिरेन्द्र प्रसाद को लिखित परीक्षा हेतु पात्र होना नहीं पाया गया है, अतः उसका नाम अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लिखित परीक्षा हेतु जारी सूची के कमांक–25 से विलोपित किया गया है ।

भृत्य पद के अनुसूचित जनजाति के संवर्ग की सूची के क्रमांक–17 पर अतुल टोप्पो पिता आलोक टोप्पो का नाम लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि उक्त अभ्यर्थी को कक्षा आठवीं में जनरल प्रमोशन दिया गया है तथा जनरल प्रमोशन के आधार पर परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का कोई भी ग्रेड व अंक का प्रतिशत नहीं होने के आधार उसे लिखित परीक्षा हेतु विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है, ऐसे उक्त अभ्यर्थी अतुल टोप्पो का नाम अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पात्र सूची के क्रमांक–17 से विलोपित किया गया है ।

भृत्य के अनुसूचित जनजाति के संवर्ग की सूची के क्रमांक–110 पर संदीप सिंह पिता बालकुमार सिंह का नाम लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है, उक्त अभ्यर्थी के द्वारा कक्षा आठवीं में बी ग्रेड प्राप्त किया गया है जिसका प्रतिशत अंकों में 75.88 होना दर्शित है, चूंकि अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये पात्र अंतिम अभ्यर्थी का प्रतिशत 90 है, उक्त अभ्यर्थी के द्वारा कक्षा आठवीं में 75.88 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है, जिस कारण उक्त अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु पात्र होना नहीं पाया गया है, अतः अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी की सूची के क्रमांक–110 से अभ्यर्थी संदीप सिंह का नाम विलोपित किया गया है ।

भृत्य के अनुसूचित जनजाति के संवर्ग की सूची के क्रमांक–27 पर वन्दना कुजूर पिता तेलेस्फोर कुजूर का नाम लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है, उक्त अभ्यर्थी के द्वारा कक्षा आठवीं में बी ग्रेड प्राप्त किया गया है, चूंकि अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये पात्र अंतिम अभ्यर्थी का प्रतिशत 90 है, उक्त अभ्यर्थी के द्वारा कक्षा आठवीं में बी ग्रेड अंक प्राप्त किया गया है, जिसका औसत प्रतिशत 70 मान्य किया गया है, जिस कारण उक्त अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु पात्र होना नहीं पाया गया है, अतः अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी की सूची के क्रमांक–27 से अभ्यर्थी वन्दना कुजूर पिता तेलेस्फोर कुजूर का नाम विलोपित किया गया है ।

भृत्य के अनुसूचित जनजाति के संवर्ग की सूची के क्रमांक–66 पर सरिता तिर्की पिता सतवर राम का नाम लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है, उक्त अभ्यर्थी के द्वारा कक्षा आठवीं में बी ग्रेड एवं 75.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है, चूंकि अनुसूचित

जनजाति संवर्ग के रिक्त पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये पात्र अंतिम अभ्यर्थी का प्रतिशत 90 है, उक्त अभ्यर्थी के द्वारा कक्षा आठवीं में बी ग्रेड 75.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है, जिस कारण उक्त अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु पात्र होना नहीं पाया गया है, अतः अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी की सूची के कमांक–66 से अभ्यर्थी सरिता तिर्की पिता सतवर राम का नाम विलोपित किया गया है ।

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर के स्थापना में भृत्य पद के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त 01 मुक्त पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची कमांक–10 एवं 11 में लिपिकीय त्रुटिवश अशोक कुमार पैकरा का नाम दो बार टंकित हो गया है, अतः उक्त सूची के कमांक–10 में अभ्यर्थी अशोक कुमार पैकरा का नाम यथावत रखते हुये उक्त सूची के कमांक–11 से अभ्यर्थी अशोक कुमार पैकरा का नाम विलोपित किया गया है ।

उपरोक्तानुसार संशोधित सूची एवं लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा के बेवसाइट पर अपलोड किया गया है ।

29.10.2026

अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय,अंबिकापुर,
सरगुजा (छ0ग0)